International Journal of Advance and Applied Research (IJAAR)
Peer Reviewed Bi-Monthly
ISSN – 2347-7075
Impact Factor – 7.328
Vol.9 No.2 Nov – Dec 2021

समकालीन हिंदी कहानियों में चित्रित महिला शोषण और घरेलू हिंसा

डॉ. शैलजा धोंडीराम गवळी
महाबळेश्वर

सारांश:

घरेलू हिंसा से तात्पर्य एक प्रकार की हिंसा या शारीरिक शोषण से हैं जो कि एक महिला के विरुद्ध दूसरे व्यक्ति के द्वारा की जाती है। वह दूसरा व्यक्ति पति, पिता, भाई, माँ, सास या फिर कोई और सगा संबंधी भी हो सकता है। एक घर जो महिला के लिए सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती है, वहां उसे किसी निकट व्यक्ति, जिस पर वह सबसे ज्यादा विश्वास करती है, से हिंसा और आतंक का सामना करना पड़ता है तो यह घरेलू हिंसा की श्रेणी में आता है। महिलाएं शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर इस पीड़ा को भुगतती हैं। ऐसी स्थिति में वे अपने और अपने बच्चों के निर्णय लेने में, रक्षा करने में असमर्थ हो जाती हैं। वे अपने अधिकारों के लिए आवाज नहीं उठा पातीं और कभी-कभी तो अपने बुनियादी मानव अधिकारों तक से वंचित रह जाती हैं।

प्रस्तावना:

महिला किसी भी उम्र, लिंग, जाति, धर्म, संस्कृति, शिक्षा, रोजगार या वैवाहिक स्थिति की हो, घरेलू हिंसा का शिकार हो सकती है। घरेलू हिंसा और भावनात्मक शोषण के अंतर्गत एक रिश्ते में व्यक्ति दूसरे को नियंत्रित करता है। शोषण के अनेक प्रकार हो सकते हैं। (1) नीचा दिखाना (2) साथी को परिवार या दोस्तों में संपर्क करने से रोकना (3) पैसे की रोक-टोक (4) नौकरी करने से रोकना (5) शारीरिक हानि पहुंचाना (मारपीट करना) (6) यौन उत्पीड़न (7) पढ़ने से रोकना (8) पीछे से धमकी देना (9) अन्य व्यक्तियों या रिश्तेदारों से प्रताड़ित करवाना।

घरेलू हिंसा की शिकार स्त्री की सच्चाई यह है कि वह उसे जगजाहिर करने से बचती है, यहां तक कि अपने आत्मीयजनों से भी अपने कष्ट को छुपा कर रखती है। घरेलू हिंसा और बलात्कार का आपस में काफी घालमेल देखा जाता है। बलात्कार केवल स्त्री की देह पर ही नहीं होता बल्कि उसके संपूर्ण व्यक्तित्व पर होता है। हिंदी साहित्य में मृणाल पांडे से लेकर लवलीन तक अनेकानेक लेखिकाओं ने इस विषय पर असंख्य उल्लेखनीय कहानियां लिखी हैं।

स्त्री चाहे घरेलू हो या कामकाजी, दोनों ही शोषण का शिकार होती हैं। सच तो यह है कि आर्थिक रूप से संपन्न महिला को और ज्यादा शक –संदेह और तिरस्कार की नजरों से देखा जाता है। उसे अपने कब्जे में बनाए रखने के लिए तरह-तरह की साजिश रची जाती है। **'मुस्कुराती औरतें'** कहानी में एक नौकरी पेशा औरत की दिल दहला देने वाली घटना के बारे में फूलकली मैडम कहती हैं- "**कुसुम बहन, अपनी रीजनल डायरेक्टर मनीषा चौहान औरत नहीं है। वे सौ सतियों की सती पति से लड़ने-भिड़ने की सोच भी नहीं पातीं। पति ने उनके बाहर आने-जाने (शहर से बाहर दूर) पर जब कभी एतराज किया, उन्होंने छुट्टी ले ली। जाना जरूरी हुआ और पति ने राइफल का मुँह उनकी और ताना, वे खड़ी की खड़ी रह गईं। रायफल का**

फायर पति ने दीवार पर किया। दीवार पर छेद बन गया। ऐसे कई छेद.....। अपनी रीजनल डायरेक्टर योग्यता प्राप्त और क्षमतावान कुशल औरत हैं। जब वे घर से बाहर निकलती हैं, चैस्टिटी बैल्ट (लोहे का योनि कवच) जिसमें ताला लगाने का प्रावधान है, पहनकर निकलती हैं। बैल्ट की चाबी पति को थमाकर आगे बढ़ती हैं। वह जानती हैं आर्थिक स्वतंत्रता की कीमत।"[1] अर्थात् एक स्त्री ना ही घर में और ना ही बाहर अपनी स्वाभाविक जिंदगी जीने को स्वतंत्र है।

'**हम खुद ही अपने राम हैं**' कहानी में बेटी जानकी को उसकी मां के द्वारा मानसिक रूप में प्रताड़ित किया जाता है। उस पर तरह-तरह के निराधार आरोप लगाए जाते हैं जिन्हें सुनकर उसका कलेजा छलनी हो जाता है। जानकी जरा सी इधर-उधर हुई नहीं कि उसकी मां का चीखना-चिल्लाना शुरू हो जाता है- "**हरामखोर कहां चली गई, सिल पर अधपिसा मसाला पड़ा है, आटा थाली में खुला पढ़ा है, करमजली..... घंटे पहले कहा था, मसाला पीस दे, वहां छत पर खड़ी किस यार से आंख मटक्का कर रही है, जब तक खानदान की नाक न कटवा देगी यह लड़की नहीं सुधरेगी।**"[2]

भावनात्मक शोषण का सिलसिला यहीं नहीं थमता बल्कि जीवनपर्यंत चलता रहता है। जानकी रात-दिन मेहनत करके, घर परिवार को संभालते हुए अपनी पढ़ाई जारी रखती है और एक दिन उसकी मेहनत रंग लाती है, उसके लिए सरकारी नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर आता है तो कोई भी उसकी इस उपलब्धि पर खुश नहीं होता है बल्कि सभी उसका विरोध करते हैं। सास और पति के साथ-साथ उसके अपने मां-बाप भी उससे नाराज हो जाते हैं। उसकी मां बड़ी दृढ़ता से अपना फैसला सुनाती है- "**जानकी तुम नौकरी नहीं करोगी, हमारी समाज में इज्जत है, लोग क्या कहेंगे, अच्छे घर की बहुएं नौकरी नहीं करती हैं, हाँ, पर पढ़ी- लिखी होती हैं, यही तो हमारा गुरूर है, तुम देखो हमारे घर की हर बहु कितनी होशियार है, सब बड़ी नौकरी करती थीं, शादी होते ही छोड़ दी क्योंकि अच्छे घर की बहु-बेटियां मर्दों की तरह काम नहीं करतीं, वह घर की शोभा होती हैं, नौकरी करने की आजादी मर्दों को है, औरतों को कहां आजादी है? उन्हें समाज, परिवार, संस्कृति हरेक का पालन करना होता है**"[3]

हमारे समाज में बेटे-बेटी में हमेशा से ही भेदभाव किया जाता है। बेटियां बचपन में ही ताने सुन-सुनकर अपने आप बड़ी हो जाती हैं। उनका बचपना, भोलापन ना जाने कहां खो जाता है। उनके लिए उछलना-कूदना और चहकना बाल सुलभ सभी क्रियाएं वर्जित मानी जाती हैं। कदम-कदम पर उनके लिए वर्जनाएं हैं। '**फाँस**' कहानी में पानी के साथ खेलती पुत्री पर क्रोधित होता हुआ पिता कहता है- "**उमा की मां.....इस छोरी से कह दो कि..... अब आंगन में नहाई तो टांग तोड़ दूंगा। वह आंगन में रखे बड़े से कठौत में घुसकर उछलती-कूदती पानी छलकाती हुई सहम गई है..... अपने दो छोटे अल्पविकसित स्तनों को अनायास तौलिया से ढक लिया, बड़ी जीजियों की तरह.....। ग्लानि में डूब कर रह गया नन्ना सा मन।**"[4]

इस कहानी में एक पिता आत्मीय रिश्तों की मर्यादा को तार-तार कर देता है। जो पिता हमेशा अपनी बेटी को दुत्कारता रहता था, वही एक रात नशे की हालत में बड़े प्यार से उसका नाम पुकारता है- "**अंतिमा सो गई क्या?..... यह ले फीस। बारहवीं में एडमिशन ले ले। तू ही मेरा लड़का है अब तो। कमरे में धुंधली जीरो पावर के बल्ब की रोशनी थी। उनके कृष शरीर की परछाई भी दीवार पर दानव की तरह पड़ रही थी। उसके सर पर हाथ फेरते-फेरते अचानक उसके हाथ नीचे सरक आए। अचानक वे उसके स्तन**

दबोचने लगे। वह बुरी तरह चीख पड़ी तो गुस्से में भन्ना गए। शोर मत मचा ए छोरी। कहकर एक चांटा रसीद कर दिया था।"[5]

यौन संबंध बनाने में स्त्री की इच्छा-अनिच्छा का कोई महत्व नहीं है, पुरूष की जब इच्छा हो तब स्त्री को हाजिर रहना चाहिए। चाहे वह शारीरिक व मानसिक रूप से कितनी भी थकी हुई क्यों ना हो। '**जो इन पन्नों में नहीं है**' कहानी में घर और बाहर के काम के बोझ से लदी गर्भवती महिला जब जबरन किए जा रहे यौन व्यवहार से इंकार करती है तो उसका पति उसके साथ बड़ा ही अमानवीय व्यवहार करने लगता है जैसे कोई शैतान उस पर सवार हो गया हो। वह गंदी-गंदी गालियों की बौछार शुरू कर देता है-"**चोप्प बिल्कुल चोप्प....यू बिच, बार-बार वापस काम पर जाने की बात करती है, वहां तेरे यार जो बैठे हैं उनके साथ तो..... और जब भी मैं कहूँ तो पेट में दर्द होता है तेरे.....। कोई भिखारी नहीं हूं जो भीख देगी मुझे, जब मैं कहूंगा तब मेरे पास आएगी तू.....समझी, जब मैं चाहूंगा तब तेरे साथ करूंगा मैं..... और अगर नहीं करने देना था तो शादी क्यों की?**"[6]

किसी के यहां यदि कन्या जन्म लेती है तो पूरे परिवार में मातम-सा छा जाता है और इसका पूरा दोष स्त्री के माथे मढ़ दिया जाता है। पुरुष दूर बैठकर हमेशा तमाशा देखता है। उसे स्त्री को सताने का, उसका शोषण करने का एक और कारण मिल जाता है । '**खर- पतवार**' कहानी में लेखिका कहती है कि लड़कियां खर-पतवार की तरह होती हैं, अपने आप बढ़ती जाती हैं, इन्हें खाद-पानी देने की जरूरत नहीं होती है। पुत्र परिवार का खेवनहार होता है। जिसके घर पुत्र पैदा नहीं होता उसकी मुक्ति असंभव है। ऐसा अंधविश्वास लगभग हर समाज में व्याप्त है। दिव्या के पिता पुत्र के ना होने का सारा क्रोध उसकी माता और बहनों पर जब-तब निकालते रहते हैं। दिव्या कहती है कि- "**पुत्र की उम्मीद में मां की कोख नें चार बेटियों को जना था लेकिन पुरोहित करने वाला कोई पुत्र वह नहीं पैदा कर सकीं। इस अक्षमता के कारण ही पिता की आंखें मां के लिए हमेशा अंगार बनी रहतीं और जीह्वा कटार। अंगार के छींटे और कटार की धार से हम बहनें भी लहू-लुहान होतीं। उस समय माँ दबी-घुटी सी कोने में अपने को छुपा लेती। होश संभालते ही मां को इस रूप में दबते, घुटते, छुप-छुप कर रोते देखा था मैंने।**"[7]

बेटियों का पढ़ना-लिखना, खेलना-कूदना, पिता की नजर में सबसे बड़ा गुनाह था। माधवी जो परिवार की तीसरी बेटी थी, खेल और पढ़ाई दोनों में बहुत होशियार थी और हमेशा अव्वल आती थी। पिता के क्रोध और दकियानूसी विचारों ने उसकी जान ले ली। दिव्या अपनी बहन की मौत का कारण पिता को मानती हुई कहती है- **"यादें है मुझे बचपन की आंखों से देखा हुआ वह कारुणिक दृश्य जब कबड्डी प्रतियोगिता में माधवी दी जिला स्तर पर प्रथम आई थीं। पिता उन दिनों पितृपक्ष मैं धन बटोरने गया गए हुए थे और मां ने बहन को बाहर जाने की इजाजत दे दी थी। जिस दिन ट्राफी जीतकर वह हाफ पेंट में घर पहुंची थी। पिता उसी दिन पितृपक्ष की कमाई करके गया से घर लौटे थे और 14 वर्ष की बेटी की खुली जांघों को देखकर इस तरह आग बबूला हुए कि मां के ऊपर चप्पल चला दी और बहन को बेरहमी से गर्दन दबोचते-घसीटते हुए घर के भीतर साँकल चढ़ाकर दो दिनों तक भूखा रखा था। बहन फिर खेलना और पढ़ना दोनों भूल गई।..... वह अवसाद में चली गई और एक दिन नीले दुपट्टे की फांस गर्दन में लपेट कर वह पंखे से झूल गई।"[8]**

इस प्रकार हम देखते हैं कि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा और उनके शोषण की समस्या कोई नई नहीं है। भारतीय समाज में एक लंबे समय से महिलाएं अपमानित, तिरस्कृत, उपेक्षित यातना व शोषण का शिकार हो रही हैं। घरेलू हिंसा या परिवार में हिंसा एक बड़ा सामाजिक मुद्दा है और जब तक इसके समाधान के लिए गंभीर प्रयास नहीं किए जाएंगे तब तक महिलाओं को न्याय और सम्मान नहीं मिलेगा। इस प्रकार की हिंसा पीड़ित और उसे कष्ट पहुंचाने वाले पक्ष दोनों को रोकनी होगी। यदि पड़ोस की कोई महिला पिट रही है तो उसे घरेलू मामला कह कर छोड़ा नहीं जा सकता। जरूरत पड़ने पर महिला को साहस जुटाकर उसका विरोध करना चाहिए और इस दलदल से बाहर निकलना चाहिए।

संदर्भ:

१. मुस्कुराती औरतें – मैत्रयी पुष्पा, कथाक्रम, जुलाई-सितंबर 2007, पृष्ठ 37
२. हम खुद ही अपने राम हैं – नीतू मुकुल, कथा देश, नवंबर 2019, पृष्ठ 74
३. हम खुद ही अपने राम हैं – नीतू मुकुल, कथा देश, नवंबर 2019, पृष्ठ 79
४. फाँस – मनीषा कुलश्रेष्ठ, कथाक्रम, जुलाई-सितंबर 2007, पृष्ठ 93
५. फाँस – मनीषा कुलश्रेष्ठ, कथाक्रम, जुलाई-सितंबर 2007, पृष्ठ 94-95
६. जो इन पन्नों में नहीं है – किरण अग्रवाल, कथाक्रम, जुलाई-सितंबर 2007, पृष्ठ 105
७. खर-पतवार – पूनम सिंह, आजकल, जून 2021, पृष्ठ 24
८. खर-पतवार – पूनम सिंह, आजकल, जून 2021, पृष्ठ 24